

**न्यायालय :-श्रीमती वन्दना राज पाण्डेय, अतिरिक्त मुख्य न्यायिक
मजिस्ट्रेट, अंजड जिला -बड़वानी (म.प्र.)**

**आपराधिक प्रकरण क्रमांक 118 / 2014
संस्थित दिनांक-26.02.2014**

म.प्र. राज्य द्वारा-आरक्षी केन्द्र
अंजड, जिला बड़वानी म.प्र.

..... अभियोगी

वि रु द्ध

बाबुलाल पिता सरदार, उम्र 31 वर्ष,
निवासी रेहगून, जिला-बड़वानी, (म.प्र.)

..... अभियुक्त

राज्य द्वारा	—	श्री अकरम मंसूरी ए.डी.पी.पी.ओ. ।
अभियुक्त द्वारा	—	श्री आर.के.श्रीवास अधिवक्ता ।

---:: नि र्ण य ::---
(आज दिनांक 12/10/2017 को घोषित)

01. आरोपी के विरुद्ध पुलिस थाना ठीकरी के अपराध क्रमांक 39/2014 के आधार पर दिनांक 07.02.2014 को समय लगभग रात 07:30 से 08:00 बजे स्थान लोक तलवाडा बुर्जुग बालकुआ रोड़ जगदीश के खेत पास पुलिया में लोकमार्ग पर वाहन मोटरसाईकिल एम.पी. 46 एम.ए. 5118 को उतावलेपन या उपेक्षापूर्ण तरीके से चलाकर पुलिया से नीचे गिराकर कालुराम का जीवन की ऐसी मृत्यु कारित करने जो आपराधिक मानव वध की कोटि में नहीं आती, तथा उक्त वाहन को बिना चालक अनुज्ञप्ति के और बिना बीमा के चलाने के लिये भा.द.वि. की धारा-304(ए), मोटरयान अधिनियम की धारा 3/181 एवं 146/196 का अभियोग है ।

02. प्रकरण में स्वीकृत तथ्य यह है कि अभियोजन साक्षी आरोपी को जानते हैं तथा बचाव पक्ष की ओर से मृतक कालूराम की शव परीक्षण रिपोर्ट भी स्वीकार की गई है इस कारण कालूराम की मृत्यु होना भी स्वीकृत तथ्य है।

03. अभियोजन का मामला संक्षेप में इस प्रकार है कि 07.02.2014 को थाना अंजड में जिला चिकित्सालय बड़वानी से यह मर्ग सूचना प्राप्त हुई थी कि मृतक कालूराम पिता घिसिया की दुर्घटना में मृत्यु हो गई उक्त सूचना के आधार पर थाना अंजड में मर्ग क्रमांक 06/14 दर्ज किया जिसकी जाँच में यह पाया कि आरोपी ने समय लगभग रात 07:30 से 08:00 बजे स्थान लोक तलवाडा बुर्जुग बालकुआ रोड़ जगदीश के खेत पास पुलिया में लोकमार्ग पर वाहन मोटरसाईकिल एम.पी. 46 एम.ए. 5118 को तेज गति एवं लापरवाहीपूर्वक चलाकर मोटरसाईकिल को पुलिया के नीचे गिरा कर कालूराम की मृत्यु कारित की। अतः थाने पर आरोपी के विरुद्ध अपराध

क्रमांक 39/14 दर्ज कर घटना स्थल का नक्शामौका बनाया। मृतक कालूराम के शव का परीक्षण कराया। साक्षीगण के कथन लेखबद्ध कर आरोपी मोटरसाईकिल एम.पी. 46 एम.ए. 5118 से उक्त दस्तावेजों सहित जप्त की गई विवेचना पूर्ण कर आरोपी को गिरफ्तार कर अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया।

04. उक्त अनुसार आरोपी का भा.द.वि. की धारा- 304(ए) का अभियोग लगाये जाने पर आरोपी ने अपराध से इंकार कर विचारण चाहा, उसका अभिवाक् लिखा गया। द.प्र.सं. की धारा 313 के अंतर्गत किये गये परीक्षण में आरोपी ने स्वयं को निर्दोष होना बताया गया किन्तु बचाव में किसी साक्षी का परीक्षण नहीं कराया गया।

05. विचारणीय प्रश्न निम्न उत्पन्न होते हैं:-

क.	विचारणीय प्रश्न
1	क्या आरोपी ने दिनांक 07.02.2014 को समय लगभग रात 07:30 से 08:00 बजे स्थान स्थान लोक तलवाडा बुर्जुग बालकुआ रोड़ जगदीश के खेत पास पुलिया में लोकमार्ग पर वाहन मोटरसाईकिल एम.पी. 46 एम.ए. 5118 को उतावलेपन या उपेक्षापूर्ण तरीके से चलाकर कालूराम की मृत्यु ऐसी परिस्थिति में कारित की जो आपराधिक मानववध की श्रेणी में नहीं आती?

:-सकारण निष्कर्ष:-

06. उक्त विचारणीय प्रश्न के संबंध में विक्रमा (अ.सा.1) का कथन है कि घटना दिनांक 07.02.2014 की है। वह मृतक कालूराम तथा परिवार के अन्य व्यक्ति शिवाबाबा की मन्नत के कार्यक्रम में गये थे। वहाँ से अपने ससुराल बरूफाटक चला गया था। रात्रि लगभग 08:00 बजे बाबूलाल ने फोन कर कालूराम की दुर्घटना के संबंध में सूचना दी तब वह बड़वानी अस्पताल में पहुँचा था। जहाँ पर कालूराम मृत अवस्था में था। उसे बाबूलाल ने बताया कि आरोपी शराब के नशे में था। उसने मोटरसाईकिल को लापरवाहीपूर्वक चलाकर पुलिया के नीचे गिरा दी थी। मोटरसाईकिल पर कालूराम भी बैठा था जिसे गंभीर चोट आई। पुलिस ने कालूराम की लाश का पंचायतनामा सफीना फॉर्म तथा नक्शा मौका **प्रदर्श पी-1** से **प्रदर्श पी-3** तक बनाया था जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। बचाव पक्ष की ओर से किये गये प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने स्वीकार किया कि वह नहीं बता सकता कि मोटरसाईकिल उसका भाई स्वयं चलाकर ले गया था या नहीं। जब वह गया तब कालूराम शिवाबाबा पर ही था। साक्षी ने स्वीकार किया कि उसे बाद में बाबूलाल ने बताया था कि मोटरसाईकिल पर आरोपी और कालूराम आ रहे थे तब दुर्घटना हुई। साक्षी ने यह भी स्वीकार किया कि उस दिन उसके भाई कालूराम ने भी शराब पी थी लेकिन इस सुझाव से भी इंकार किया कि मृतक कालूराम स्वयं मोटरसाईकिल चला कर था और उसने मोटरसाईकिल पुलिया से नीचे गिरा दी।

07. अनार बाई (अ.सा.02) ने घटना दिनांक को कालूराम तथा परिवार के अन्य सदस्यों को शिवाबाबा मन्नत के कार्यक्रम में जाने के संबंध में कथन किये हैं। साक्षी का यह भी कथन है कि रात्रि लगभग 08 बजे आरोपी आया तथा उसने साक्षी

बाबुलाल से विक्रम और कालूराम के मोबाईल नम्बर मांगे तथा उसने आरोपी से कहा कि उसने कालूराम को पुलिया के नीचे गिरा कर हाथ पैर तोड़ दिये तब आरोपी ने इससे इंकार किया उसने भी आरोपी से पूछताछ की तो आरोपी ने इंकार किया। थाने से फोन आने पर वह अस्पताल गये थे किन्तु याद नहीं है। इस साक्षी को पक्ष विरोधी घोषित कर सूचना प्रश्न पूछने पर साक्षी ने यह याद होने से इंकार किया कि उसने पुलिस को **प्रदर्श पी-3** के कथन में मोटरसाईकिल का नम्बर एम.पी. 46 एम.ए 5118 बताया था या नहीं। बचाव पक्ष की ओर से किये गये प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने स्वीकार किया कि वह नहीं बता सकता कि मोटरसाईकिल अभियुक्त चला रहा था या मृतक चला रहा था।

08. बाबूलाल पिता नानिया (अ.सा.06) ने आरोपी और मृतक को पहचानने के अतिरिक्त अन्य कोई कथन अभियोजन के समर्थन में नहीं किये। अभियोजन की ओर से सूचक प्रश्न पूछे जाने पर भी साक्षी ने अभियोजन के समस्त सुझावों से स्पष्ट इंकार किया। यह तक की साक्षी ने अस्पताल गई थी, वहाँ कालूराम का ईलाज चल रहा था जहाँ उसकी मृत्यु हो गई। बचाव पक्ष की ओर से किये गये प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने स्वीकार किया कि जब वह अस्पताल पहुँचा तब कालूराम होश में था। साक्षी ने स्वीकार किया कि कालूराम मोटरसाईकिल चला लेता है लेकिन इस सुझाव से इंकार किया कि कालूराम मोटरसाईकिल से खुद गिर गया। साक्षी ने इस सुझाव से स्पष्ट इंकार किया कि उसने आरोपी से पैसे लेने के लिये असत्य कथन किये हैं।

09. मोहन (अ.सा.03) का कथन है कि 8-10 माह पूर्व वह बालकुआ से तलवाडा मोटरसाईकिल से रात के समय आ रहा था। उसने पुलिया के नीचे देखा कि आरोपी तथा एक अन्य व्यक्ति नीचे गिरे हुये हैं तब उसने 108 को सेवा पर फोन किया तथा नीचे उतरकर घायल व्यक्ति को उठाया। उसने मोटरसाईकिल के नम्बर लिखवा दिये। पुलिस का **प्रदर्श पी-6** का कथन देने से भी स्पष्ट इंकार किया है।

10. पंडू (अ.सा.04) की दिनांक 13.02.2014 को उसने थाना अंजड को अपराध क्रमांक 39/14 में जप्त मोटरसाईकिल नम्बर एम.पी.46 एम.ए. 5118 का परीक्षण कर के **प्रदर्श पी-4** का प्रतिवेदन दिया जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं।

11. जगदीश कलमे (अ.सा.05) का कथन है कि दिनांक 09.02.2014 को थाना अंजड पर थाना बड़वानी के आरक्षक पातल्या द्वारा मृतक कालूराम पिता घिसिया के मृत्यु होने के संबंध में मार्ग क्रमांक 06/14 **प्रदर्श पी-5** का दर्ज किया था जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं।

12. इस प्रकार स्पष्ट रूप से किसी भी अभियोजन साक्षी ने आरोपी द्वारा घटना दिनांक, स्थान और समय पर उक्त मोटरसाईकिल नम्बर एम.पी.46 एम.ए. 5118 लोकमार्ग पर उतावलेपन या उपेक्षापूर्ण से चलाकर कालूराम को मोटरसाईकिल से गिरा कर उसकी मृत्यु ऐसी परिस्थिति में कारित करने जो की मानववध की श्रेणी में नहीं आता कोई कथन नहीं किया। यह तक की घटना के समय आरोपी द्वारा उक्त वाहन चलाना भी प्रमाणित नहीं हुआ। अतः आरोपी के विरुद्ध उक्त वाहन को बिना बीमा कराये अथवा बिना चालक अनुज्ञप्ति के चलाना भी साबित नहीं होता है। ऐसी स्थिति में आरोपी के विरुद्ध आरोपित अपराध या अन्य कोई अपराध प्रमाणित नहीं होता है, तथा उसके विरुद्ध कोई निष्कर्ष अभिलिखित नहीं किया जा सकता।

13. उक्त विवेचना के आधार पर न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि अभियोजन अपना मामला आरोपी के विरुद्ध संदेह से परे प्रमाणित करने में पूर्णतः असफल रहा है। अतः यह न्यायालय आरोपी बाबूलाल पिता सरदार, उम- 31 वर्ष, निवासी रेहगून जिला-बड़वानी, (म.प्र.) को भा.द.वि. की धारा-304(ए), मोटरयान अधिनियम की धारा 3/181 एवं 146/196 के अपराध से संदेह का लाभ देकर दोषमुक्त घोषित करता है ।

14. आरोपी का द.प्र.सं. की धारा-428 के अंतर्गत निरोध की अवधि का प्रमाण-पत्र बनाया जाए ।

15. प्रकरण में जप्तशुदा संपत्ति वाहन मोटरसाईकिल नम्बर एम.पी.46 एम.ए. 5118 उसके स्वामी को पूर्व से सुपुर्दगी पर दिया गया है। अतः सुपुर्दगीनामा बाद अपील अवधि निरस्त समझा जाए, अपील होने की दशा में माननीय अपील न्यायालय के आदेश का पालन किया जाए ।

निर्णय खुले न्यायालय में दिनांकित,
हस्ताक्षरित कर घोषित किया गया ।

मेरे उद्बोधन पर टंकित किया ।

सही / -

(श्रीमती वंदना राज पाण्डेय)
अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
अंजड़, जिला बड़वानी म.प्र.

सही / -

(श्रीमती वंदना राज पाण्डेय)
अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
अंजड़, जिला बड़वानी म.प्र.

